डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल---505/डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी 1981---फाल्गुन 8, शके 1902

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक; (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन; (3) संसद में पुनः स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश; (2) मध्यप्रदेश अधिनियम; (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम; (2) अन्तिम नियम;

भाग ४ (क)---कुछ नहीं

भाग ४ (ख)

संसद् के अधिनियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 1977

क्र. 44830-इक्कीस-अ (वि.स.)-77.---भारत के राष्ट्रपति के प्राधिकार से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, अनुभाग 1-क, दिनांक 10 जनवरी 1977 में प्रकाशित किये गये दि देहली अरबन आर्ट कमीशन एक्ट, 1973 (क्रमांक 1 सन् 1974) के हिन्दी अनुवाद को, जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (क्रमांक 19 सन् 1963) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जायगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा, पुनः प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सं. जु. सुराणा, सचिव.

दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, १९७३*

(1974 का अधिनियम संख्यांक 1)

[1 दिसम्बर, 1975 को यथाविद्यमान]

[1 जनवरी, 1974]

दिल्ली में नगरीय और पर्यावरणीय स्वरूप की सौंदर्यपरकता के परिरक्षण, विकास और बनाए रखने के उद्देश्य से दिल्ली नागरी कला आयोग की स्थापना का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :---

अध्याय 1---प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.---(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम 1973 है.

* हिन्दी पाठ राष्ट्रपति द्वारा 10 जनवरी 1977 को प्राधिकृत किया गया.

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 1981

क्र. 414-4542-चौंतीस-1.---भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भरती तथा सेवा की शर्तें को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.---ये नियम मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा नियम, 1980 कहलायेंगे.

ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में अधिसूचित किये जाने की तारीख से लागू होंगे.

2. परिभाषाएं.---इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में, "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत शासन से है;

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से है;

(ग) "शासन" से अभिप्रेत मध्यप्रदेश शासन से है;

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत मध्यप्रदेश के राज्यपाल से है;

(ङ) 'अनुसूची" से अभिप्रेत इन नियमों से संलग्न अनुसूची से है;

(च) "अनुसूचित जातियों" तथा "अनुसूचित जनजातियों" का वही अर्थ होगा जो कि संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड क्रमशः (24) तथा (25) में उनके लिये समनुदेशित किये गये हैं;

(छ) "सेवा" से अभिप्रेत मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा से है;

(ज) "राज्य" से अभिप्रेत मध्यप्रदेश राज्य से है.

3. विस्तार तथा लागू होना.---मध्यप्रदेश सिविल सर्विस (जनरल कण्डीशन्स आफ सर्विस) रूल्स, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा में के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. सेवा का गठन.—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने पर अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट किये गये पदों को मूलतः धारण कर रहे हों,

(2) व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भरती किये गये हों, और

(3) व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भरती किये गये हों.

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि.—सेवा का वर्गीकरण, उससे सम्बद्ध वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची एक में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होगी :

परन्तु शासन सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से वृद्धि कर सकेगा या कमी कर सकेगा.

6. भरती का तरीका.---(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :—

(क) चयन की पद्धति से सीधी भरती द्वारा;

(ख) मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा तथा मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) शासन द्वारा ऐसे व्यक्तियों के, जो ऐसे पदों तथा ऐसी सेवाओं को धारण करते हों, जैसाकि इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाये, स्थानांतरण, द्वारा.

(2) (क) सेवा के वर्ग एक क प्रत्येक पद की भरती प्रसामान्यतः पदोन्नति द्वारा की जायेगी और केवल उस स्थिति में जबकि उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो शासन उस पद को सीधी भरती द्वारा भर सकेगा.

(ख) सेवा के वर्ग दो के पदों पर पदोन्नति द्वारा भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय विशिष्ट काडर अर्थात् सिविल मेके निकल के वर्ग दो में के कर्तव्य पदों (जैसे कि अनुसूची एक तथा दो में विनिर्दिष्ट किये गये हैं) के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, भरती में की किसी ऐसी विशिष्ट रिक्त या रिक्तियों को, जिनका कि भरती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हों, भरने के प्रयोजन के लिये अंगीकृत किया जाने वाला भरती का तरीका या तारीके तथा प्रत्येक तरीके से भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर आयोग के परामर्श से शासन द्वारा अवधारित की जायगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, यदि शासन की राय में सेवा की अम्यावश्यकताओं से ऐसी अपेक्षित हो, वो शासन सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट तरीकों से भिन्न ऐसे तरीकों को सेवा में भर्ती के लिए अंगीकृत कर सकेगा जैसा कि वह इस संबंध में जारी किये गये आदेशों द्वारा विहित करे.

7. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में की समस्त नियुक्तियां शासन द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके से चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी अन्यथा नहीं.

8. सीधी भरती की पात्रता की शर्तें :—सीधी भरती की पात्रता होने के लिये उम्मीदवार की निम्नलिखित शर्तें पूरी करना चाहिये, अर्थात्:—

(1) आयु.—(क) चयन के प्रारंभ होने की तारीख से निकट आगामी 1 जनवरी को उसे अनुसूची तीन के कालम (3) में उपदर्शित की गई आयु प्राप्त कर लेनी चाहिये तथा उसने उक्त अनुसूची के कालम (4) में उपदर्शित की गई आयु प्राप्त न कर ली हो.

(ख) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो आयु सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी;

(ग) ऐसा उम्मीदवार, जो किसी स्थापना, जिसमें कार्य प्रभारित स्थापना (वर्क चार्जड स्टेबलिसमेंट) तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी सम्मिलित है, में स्थायी या अस्थायी हैसियत में पद धारण कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(घ) ऐसा उम्मीदवार, जो छटनी किया गया सरकारी कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा का अधिक से अधिक सात वर्ष तक की कालावधि भले ही वह कालावधि से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायगा बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप आयु अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—शब्द "छटनी" किये गये "सरकारी कर्मचारी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इस राज्य में या उसकी इकाईयों में से किसी भी इकाई (रीजन) में अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो और जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने की या सरकारी सेवा में नियोजन के लिये अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो;

(ङ) ऐसा उम्मीदवार, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायगा बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप आयु अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—"भूतपूर्व सैनिक" शब्द से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीयन कराने की या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छटनी की गई हो या जो अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात् :—

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जो समय पूर्व निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन्स) के अधीन सेवा मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जो दूसरी बार भरती किया गया हो, और (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर, (ख) भरती संबंधी शर्तों के पूर्ण हो जाने, पर, सेवामुक्त कर दिया गया हो;

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी;

(4) ऐसा अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जो अपना अनुबंध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं);

(5) ऐसा अधिकारी, जिसे अवकाश रिक्तियों पर छः माससे अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो;

(6) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(7) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसे इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि अब वह सक्षम सैनिक बनने योग्य नहीं रहा;

(8) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसको गोली लग जाने तथा घाव हो जाने के कारण सेना से अलग कर दिया गया हो;

(9) ऐसे व्यक्तियों को, जो 1 जनवरी 1963 और उसके बाद से राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भरती किये गये हों, प्राथमिक रूप से बढ़ाये गये अपने कार्यकाल की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से पदमुक्त किये गये हों, अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि को उस सीमा तक कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायगा कि इसके परिणामस्वरूप आयु अनुसूची तीन के कालम (4) में विहित की गई आयु सीमा, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये, तीन वर्ष से अधिक न हो;—

(एक) कि पदधारी इस प्रभाव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह राष्ट्रीय छात्र सेना से उसकी प्राथमिक/बढ़ाये गये कार्यकाल की समाप्ति पर मुक्त हो गया है; और

(दो) कि राष्ट्रीय छात्र सेना छोड़ने से तथा चयन के प्रारंभ होने की तारीख से आगामी 1 जनवरी के बीच की कालावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं है.

टिप्पणी.—ऐसे उम्मीदवार जो—खण्ड (ग) तथा (घ) में विहित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन किये गये हों, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद वे चयन होने के पहले या बाद में सेवा से त्यागपत्र दे दें. तथापि; यदि आवेदन पत्र, भेजने के पश्चात सेवा या पद से उनकी छटनी कर दी जाये तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे. अन्य मामले में आयु सीमाओं की छूट नहीं दी जा सकेगी.

(2) शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव.—उनके पास ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव होना चाहिये जो कि अनुसूची तीन के कालम (5) में विहित की गई हों, परन्तु.—

(क) आपवादिक मामलों में, आयोग, शासन की सिफारिश पर, किसी ऐसे उम्मीदवार को अर्ह मान सकेगा जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित की गई अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षायें ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों, जो आयोग की राय में उम्मीदवार के चयन के लिये विचार करने हेतु उचित मानी गई हों; और

(ख) ऐसे उम्मीदवारों के संबंध में भी, जो अन्यथा अर्हता प्राप्त हों, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हों, जो शासन द्वारा विशिष्ट रूप में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न हों, आयोग के विवेकानुसार चयन के लिये विचार किया जा सकेगा.

(3) फीस :—उसे आयोग द्वारा विहित फीस का भुगतान करना चाहिये.

9. अनर्हतायें.—उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिये किसी भी जरिये से सहायता प्राप्त करने के लिये किया गया कोई भी प्रयास आयोग द्वारा उम्मीदवार के चयन के लिये अनर्हकारी माना जायेगा.

10. उम्मीदवारों की पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा.—चयन के लिये किसी उम्मीदवार की पात्रता अथवा अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा.

11. चयन द्वारा सीधी भरती.—(1) सेवा में भरती के लिये चयन ऐसे अन्तरालों में किया जायेगा जैसा कि शासन समय-समय पर आयोग के परामर्श से अवधारित करें.

(2) सेवा के लिये उम्मीदवारों का चयन आयोग द्वारा उनके साक्षात्कार के पश्चात् किया जायेगा.

(3) सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्त स्थानों में से 15 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत स्थान ऐसे उम्मीदवारों के लिये, जो क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हों, आरक्षित रखे जायेंगे.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय ऐसे उम्मीदवारों को, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हों, नियुक्ति पर विचार नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये उनके नामों के क्रम के अनुसार किया जायगा चाहे अन्य उम्मीदवारों की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को जो कि आयोग द्वारा प्रशासन की दक्षता को बनाये रखने का उचित ध्यान रखते हुये सेवा में नियुक्त करने के लिए उपयुक्त ठहराये गये हों. उप नियम (3) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित स्थानों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) यदि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित रिक्तियों में समस्त या किसी भी रिक्ती को ऐसे उम्मीदवारों के प्राप्त न होने के कारण भरा न जा सके तो समस्त या उनकी ऐसी संख्या की रिक्ति, जो भरी न जा सकी हो, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से अन्य रूप से भरा जाने के लिये पुनः विज्ञापित की जायेगी और उस स्थिति में जबकि ऐसे पुनः विज्ञापन के पश्चात् भी समस्त या उनमें से कोई रिक्ति भरी न जा सके तो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से भिन्न अन्य उम्मीदवारों से भरी जायगी, और पश्चात्वर्ती चयन के दौरान, यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये उतनी ही संख्या में अतिरिक्त स्थान रक्षित रखे जायेंगे, परन्तु अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित पदों की कुल संख्या अग्रनीत (कैरीफारवर्ड) रिक्तियों को सम्मिलित करते हुये विज्ञापित की गई कुल रिक्तियों के पैंतालीस प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

12. आयोग द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों की सूची.—(1) आयोग, ऐसे उम्मीदवारों के जिन्हें आयोग सर्वाधिक उपयुक्त समझे विधिवत अधिमान क्रम में रखे गये नाम व अन्य ब्यौरे तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उन उम्मीदवारों के नाम और अन्य ब्यौरे जो यद्यपि उन मानकों के अनुसार अर्ह नहीं हैं, किन्तु जिन्हें आयोग ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुये, सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया हो, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा.

(2) इन नियमों के तथा मध्यप्रदेश सिविल सर्विस (जनरल कण्डीशन्स आफ सर्विस) नियम, 1961 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, उम्मीदवारों की उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्त किये जाने के लिये उसी क्रम में विचार किया जायगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में हों.

(3) सूची में उम्मीदवार के नाम का सम्मिलित किया जाना हो नियुक्ति का अधिकार तब तक प्रदान नहीं करता है जब तक कि शासन का ऐसी जांच के पश्चात् जिसे कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिये सब प्रकार से उपयुक्त है.

(4) ऐसे उम्मीदवार, की इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् नियुक्त किये गये हैं, कम से कम चार वर्ष की कालावधि के लिये सशस्त्र बल की सेवा के लिये दायी होंगे, जिसमें प्रतिरक्षा सेवाओं के प्रशिक्षण में या भारत में या विदेश में, यदि ऐसी अपेक्षित हो, कभी भी प्रतिरक्षा के प्रयास के संबंध में कार्य सम्मिलित हैं.

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.—(1) अर्ह उम्मीदवारों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन के लिये एक समिति का गठन किया जायगा जिसमें अनुसूची चार के कालम (5) में उल्लिखित सदस्य होंगे.

(2) समिति की बैठक ऐसी अन्तरावधियों पर होगी जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो.

(3) उन पदों में, जिनमें पदोन्नति की प्रतिशतता 33⅓ प्रतिशत या उससे अधिक हो, पदोन्नति के लिये प्राप्त रिक्तियों का 15 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत, ऐसे शासकीय सेवकों के लिये जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हैं, और जो नियम 14 के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति के लिये पात्र हैं, आरक्षित रखा जायेगा.

14. पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.—(1) उप नियम (2) के अनुबंधों के अध्यधीन रहते हुये, समिति ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को इतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न या मूल हैसियत में हों) जोकि अनुसूची चार के कालम (3) में विनिर्दिष्ट की गई है, अनुसूची चार के कालम (2) में वर्णित पद सेवा में या किसी अन्य ऐसे पद या पदों में, जो कि शासन द्वारा उसके समकक्ष घोषित किये गये हों, पूरी कर ली थी, और जोकि उपनियम (2) के अनुसार विचार किये जाने की परिधि में आते हैं.

(2) चयन सूची में, सम्मिलित किये जाने वाले अधिकारियों की, उन पदों पर पदोन्नति किये जाने के मामले में, जिसमें ज्येष्ठता और गुणागुण के आधार पर पदोन्नति की जाना हो, संख्या पांच गुणे तक और सम्मिलित किये जाने वाले अधिकारियों की, उन पदों पर पदोन्नति किये जाने के मामले में, जिनमें गुणागुण और ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाना हो, संख्या सात गुने तक चयन क्षेत्र (फील्ड) सामान्यतः सीमित रहेगा परन्तु यदि ऐसे अवधारित क्षेत्र में उपयुक्त अधिकारी अपेक्षित संख्या में प्राप्त न हो तो समिति द्वारा लिखित कारणों को वर्णित करते हुये क्षेत्र में उस सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा जिस तक आवश्यक समझा जाये.

15. पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.—(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी जो नियम 14 में विहित की गयी शर्तों को पूरा करते हों और जो सेवा में पदोन्नति के लिये समिति द्वारा उपयुक्त ठहराये गये हों. चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली पूर्वानुमानित रिक्तियों को भरने के लिये सूची पर्याप्त होगी. उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली भविष्य दर्शी रिक्तयों को भरने के लिये एक आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी जिसमें, चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्ति होंगे.

(2) ऐसी सूची में समावेश करने के लिये चयन, ज्येष्ठता का सम्यक् ध्यान रखते हुये, गुणागुण पर तथा सब प्रकार की उपयुक्तता पर आधारित होगा.

(3) सूची में सम्मिलित किये गये अधिकारियों के नाम, प्रत्येक चयन सूची तैयार करते समय, प्रत्येक श्रेणी में [जैसा कि अनुसूची चार के कालम (2) में हो] ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे:

परन्तु कोई भी कनिष्ठ अधिकारी, जो समिति की राय में आपवादिक गुणागुण तथा उपयुक्तता रखता हो, उससे वरिष्ठ अधिकारी से उच्चतर स्थान पर समनुदेशित किया जा सकेगा.

स्पष्टीकरण.—कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान पदोन्नति नहीं किया गया हो, एक मात्र इस तथ्य से कि उसका चयन पूर्व का है, उन व्यक्तियों से ऊपर जिनका कि पश्चातवर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का दावा नहीं करेगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रति वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायगा.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में उपयंत्री, मुख्य मानचित्रकार या मानचित्रकार के काडर के किसी सदस्य को या मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा के सदस्य को अधिक्रमित करना प्रस्तावित किया जाये तो समिति प्रस्तावित अधिक्रम के लिये अपने कारणों को अभिलिखित करेगा.

16. आयोग से परामर्श.—नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची शासन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी:—

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख,

(दो) सेवा के ऐसे सभी सदस्यों के अभिलेख, जिनको समिति की सिफारिशों पर अधिक्रमित किया जाना प्रस्तावित हों,

(तीन) उपयंत्री, मुख्य मानचित्रकार या मानचित्रकार के काडर के किसी सदस्य या मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा के सदस्य के प्रस्तावित अधिक्रमण के लिये समिति द्वारा लेखबद्ध किये गये कारण; और

(चार) समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में शासन के विचार.

17. चयन सूची.—(1) आयोग, सरकार से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और जब तक कि वह कोई परिवर्तन करना आवश्यक न समझे सूची को अनुमोदित करेगा.

(2) यदि आयोग यह आवश्यक समझे कि शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन किये जाये तो आयोग प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में शासन को सूचित करेगा और शासन की टीका, टिप्पणियों को, यदि कोई हो, ध्यान में रखने के पश्चात् सूची को, ऐसे उपांतरणों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो अंतिम रूप से अनुमोदित करेगा.

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, यथास्थिति उपयंत्री, मुख्य मानचित्रकार तथा मानचित्रकार के काडर के सदस्यों और मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा के उन सदस्यों की, जो मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा के काडर से संबंधित पद हों, पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण न किया जाये किन्तु उसकी विधि मान्यता उसके तैयार करने की तारीख से 18 माह की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ायी जायेगी, परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्त्तव्यों के पालन या निर्वाह में गंभीर चूक होने की स्थिति में चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन शासन के अनुरोध पर किया जा सकेगा. और आयोग, यदि यह उचित समझे ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा.

18. चयन सूची से सेवा में नियुक्त.—(1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा के काडर के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम से की जायेगी जिस क्रम से ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में हों :

परन्तु यदि प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसा अपेक्षित हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित न किया गया हो, या जिसका नाम चयन सूची में दिये गये क्रम में अगले स्थान पर न हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा यदि शासन का यह समाधान होजाये कि रिक्त स्थान के तीन मास से अधिक समय तक चालू रखने की संभावना नहीं है.

(2) जिस व्यक्ति का नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, उस व्यक्ति की सेवा में नियुक्त करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उनका नाम सम्मिलित करने की तारीख तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच अवधि में उसके कार्य में कोई ऐसी गिरावट न आई हो, जो शासन की राय में ऐसी हो जिससे उनका सेवा में नियुक्त किया जाना उपयुक्त न हो

19. परिवीक्षा.—सेवा में सीधे भरती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा हेतु नियुक्त किया जायगा.

20. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका निर्णय उस पर अंतिम होगा.

21. छूट.—इन नियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसको ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति से कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है, जो उनको उचित और न्याय प्रतीत हो:

परन्तु मामले पर किसी ऐसी रीति से कार्यवाही नहीं की जावेगी जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो.

22. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को, जिनका कि राज्य शासन द्वारा, इस संबंध में समय-समय पर जारी किये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये दिया जाना अपेक्षित हो, प्रभावित नहीं करेगी.

23. निरसन और व्यावृत्ति.—इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम, या अनुदेश जो कि इन नियमों के प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व लागू हों, एतद्द्वारा, निरस्त किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित किये गये नियमों तथा अनुदेशों के अधीन की गई कोई भी बात या की गई कोई भी कार्यवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अ. कु. पण्ड्या, सचिव.

अनुसूची एक

(नियम 5 देखिये)

सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
(क) मुख्यालय में कर्तव्य पद.—			
मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा			
प्रमुख अभियन्ता	1	वर्ग एक	रु. 1500—75—1800—100—2000 +250 विशेष वेतन.
मुख्य अभियन्ता	2	वर्ग एक	रु. 1500—75—1800—100—2000
अधीक्षण यंत्री (सिविल)	3	वर्ग एक	रु. 1100—50—1500
अधीक्षण यंत्री (मेकेनिकल)	1	वर्ग एक	तदैव
ड्रिलिंग एक्सपर्ट	1	वर्ग एक	तदैव
कार्यपालन यंत्री (सिविल)	6	वर्ग एक	रु. 680—40—800—50—1000—द. रो.—50—1150
जल वैज्ञानिक (हाइड्रोजियालिस्ट)	1	वर्ग एक	तदैव
जीव वैज्ञानिक (बायोलाजिस्ट)	1	वर्ग एक	तदैव
सहायक यंत्री (सिविल)	15	वर्ग दो	रु. 425—25—500—30—680—द. रो.—40—800—50—900.
लेखा अधिकारी	3	वर्ग दो	रु. 425—25—500—30—680—द. रो.—40—800—50—900.
(ख) फील्ड में कर्तव्य पद.—			
अधीक्षण यंत्री	10	वर्ग एक	रु. 1100—50—1500.
कार्यपालन यंत्री (सिविल)	45	वर्ग एक	रु. 680—40—800—50—1000—द. रो.—50—1150.
कार्यपालन यंत्री (मेकेनिकल)	10	वर्ग एक	तदैव
सहायक यंत्री (सिविल)	286	वर्ग दो	रु. 425—25—500—30—680—द. रो.—40—800—50—900.
(ग) सहायक यंत्री (मेकेनिकल)	61	वर्ग दो	तदैव
(घ) मुख्य रसायनज्ञ	1	वर्ग दो	तदैव

(ग) प्रतिनियुक्ति के पद—शून्य

(घ) अवकाश रिजर्व—शून्य.

अनुसूची दो

(नियम 6 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशत			टिप्पणियां
			नियम 6 (1) (क) के अधीन सीधी भरती द्वारा	नियम 6 (1) (ख) के अधीन पदोन्नति द्वारा	नियम 6(1) (ग) के अधीन अन्य सेवाओं से स्थानान्तर द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा:					
	वर्ग एक					
	प्रमुख अभियन्ता ..	1	..	100 प्रतिशत	..	
	मुख्य अभियन्ता ..	2	..	100 प्रतिशत	..	
	अधीक्षण यंत्री (सिविल) ..	13	..	100 प्रतिशत	..	
	अधीक्षण यंत्री (मेकेनिकल) ..	1	..	100 प्रतिशत	..	
	ड्रिलिंग एक्सपर्ट ..	1	..	100 प्रतिशत	..	
	कार्यपालन यंत्री (सिविल). ..	51	..	100 प्रतिशत	..	
	कार्यपालन यंत्री (मेकेनिकल). ..	10	..	100 प्रतिशत	..	
	जल वैज्ञानिक (हाइड्रोजियोलाजिस्ट)	1	100 प्रतिशत	..	..	भारतीय विज्ञान सर्वेक्षण अथवा राज्य शासन के अन्य विभागों से सामान्यतः प्रतिनियुक्ति पर विकल्प में सीधी भरती.
	जीव विज्ञानिक (बायलोजिस्ट) ..	1	100 प्रतिशत	..	..	सीधी भरती.
	वर्ग दो					
	सहायक यंत्री (सिविल). ..	302	60 प्रतिशत	33 प्रतिशत उपयंत्री संवर्ग से		
	सहायक यंत्री (मैकेनिकल). ..	461	..	3 प्रतिशत मुख्य मानचित्रकार/मानचित्रकार संवर्ग से. 4 प्रतिशत डिग्रीधारी उपयंत्री संवर्ग से ऐसे लोगों के लिए 8 वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी.	..	
	मुख्य रसायनज्ञ (चीफ केमिस्ट) ..	1	100 प्रतिशत		..	
	सेवा अधिकारी ..	3	..		100 प्रतिशत ..	संचालनालय, कोषागार या कार्यालय, महालेखापाल, म. प्र. से प्रति नियुक्ति पर.

अनुसूची तीन

(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा तथा पदों का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा				
	हायड्रोजियालिस्ट	21 वर्ष	33 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू गर्भ शास्त्र या प्रयुक्त भू गर्भ शास्त्र में एम.एस. सी की उपाधि या उसके समतुल्य अन्य उपाधि या भारतीय माइन स्कूल,धनबाद का प्रयुक्त भू गर्भ शास्त्र में डिप्लोमा, भू-गर्भ शास्त्रीय नक्शे बनाना तथा खनिज खोजने का कार्य 3 वर्ष तथा जिसमें से 2 वर्ष भू-जल की सम्भाव्यता का सर्वेक्षण में भू-जल खोजने में व्यतीत किये हो.	सामान्यतः भरती भू-गर्भ शास्त्रीय सर्वेक्षण या शासन के अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लिये जायेंगे तथा उनके लिये कोई आयु सीमा नहीं होगा.
	जीव वैज्ञानिक (बायलोजिस्ट)	21 वर्ष	30 वर्ष	रसायन शास्त्र में एम.एस.सी., बी.एस.सी. में जीव विज्ञान तथा प्राणी शास्त्र के साथ.	
	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा वर्ग दो				
	सहायक यंत्री (सिविल).	21 वर्ष	30 वर्ष	आवश्यकता:— किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि या उसके समतुल्य अन्य उपाधि. वांछनीय:— किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम. ई. पी. एच. की उपाधि या उसके समतुल्य लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (सिविल) में अनुभव.	
	सहायक यंत्री (मेकेनिकल).	21 वर्ष	30 वर्ष	आवश्यकता:— किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी अभियांत्रिकी में उपाधि या उसके समतुल्य अन्य उपाधि. वांछनीय:— ड्रिलिंग या भारी मशीन के परिचालन तथा अनुरक्षण का अनुभव.	
	मुख्य रसायनज्ञ ..	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में एम. एस. सी. की उपाधि.	
	लेखा अधिकारी ..	..	..	.. ..	संचालनालय / कोषालय या कार्यालय, महालेखाकार मध्यप्रदेश से प्रतिनियुक्ति पर लिया जावेगा.

अनुसूची चार
(नियम 13 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	आगामी उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु अर्हता होने की कम से कम कालावधि	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम [देखिये नियम 13(1)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा,			
	मुख्य अभियन्ता, वर्ग एक	..	प्रमुख अभियन्ता ..	1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन .. अध्यक्ष 2. मध्यप्रदेश शासन के वरिष्ठतम सचिव सदस्य 3. सचिव/विशेष सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सदस्य 4. उपसचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जो स्थापना के चार्ज में हो.. सचिव
	अधीक्षण यंत्री वर्ग एक	5 वर्ष	मुख्य अभियन्ता वर्ग एक	तदैव
	कार्यपालन यंत्री (सिविल) वर्ग एक	5 वर्ष	अधीक्षण यंत्री (सिविल)	1. अध्यक्ष लोक सेवा आयोग अथवा .. अध्यक्ष उनके द्वारा नाममनोनीत सदस्य. 2. सचिव/विशेष सचिव मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग. सदस्य 3. प्रमुख अभियन्ता .. सदस्य 4. उपसचिव (स्थापना) .. संयोजक
	कार्यपालन यंत्री (मेकेनिकल)	5 वर्ष	अधीक्षण यंत्री (मेकेनिकल) ड्रिलिंग एक्सपर्ट	
	सहायक यंत्री (सिविल) वर्ग दो	6 वर्ष	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	
	सहायक यंत्री (मेकेनिकल) वर्ग दो	6 वर्ष	कार्यपालन यंत्री (मेकेनिकल)	
	उपयंत्री (यथास्थिति सिविल या मेकेनिकल ब्रांच में).	12 वर्ष (डिप्लोमाधारियों के लिये) 8 वर्ष उन उपयंत्रियों के लिये जो सेवा में रहते हुए डिग्री प्राप्त करते हैं.	सहायक यंत्री, वर्ग दो (सिविल/मेकेनिकल) ..	तदैव तदैव
	मुख्य मानचित्रकार/मानचित्रकार (यथास्थिति सिविल या मेकेनिकल ब्रांच में)	12 वर्ष	सहायक यंत्री (सिविल अथवा मेकेनिकल)	तदैव तदैव

नोट.—(1) कार्यपालन यंत्री (सिविल अथवा मेकेनिकल) के पद पर केवल वे ही सहायक यंत्री पदोन्नति के पात्र होंगे जिनके पास कम से कम राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल/मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तीन वर्षीय डिप्लोमा या मानचित्रकार के तीन वर्षीय कोर्स का डिप्लोमा हो.

(2) सिर्फ यंत्र शास्त्र में डिग्री प्राप्त करने वाले ही अधीक्षण यंत्री के पद तथा उससे उच्च पद पर पदोन्नति होने के पात्र होंगे. अपवाद केवल ड्रिलिंग एक्सपर्ट का पद होगा जिस पर वह कार्यपालन यंत्री भी पदोन्नत हो सकेगा जिसके पास मान्यता प्राप्त संस्था में कम से कम तीन वर्षीय मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो. यदि डिप्लोमा धारी कार्यपालन यंत्री ड्रिलिंग एक्सपर्ट के पद पर पदोन्नत होता है तो उसे आगे उच्च पदों पर पदोन्नति की पात्रता नहीं होगी.

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 1981

क्र. 415-4542-चौंतीस-एक-81.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 414-4542-चौंतीस-एक-81, दिनांक 6 फरवरी 1981 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अ. कु. पण्ड्या, सचिव.

Bhopal, the 6th February 1981

No. 414-4542-XXXIV-I-81.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of MadhyaPradesh hereby makes the following rules for regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Madhya Pradesh Public Health Engineering (Gazetted) Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**—These rules may be called the Madhya Pradesh Public Health Engineering(Gazetted) Service Rules, 1980. These rules shall come into force with effect from the date of notification in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointing Authority" in respect of the Service menas the Government;

(b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;

(c) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(d) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(e) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(f) "Scheduled Castes and Scheduled Tribes" shall have the same meaning as are assigned to them by clauses (24) and (25), respectively of Artilce 366 of the Constitution;

(g) "Service" means the Madhya Pradesh Public Health Engineering (Gazetted) Service;

(h) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. **Scope and application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the service.**—The service shall consist of the following persons, namely :—

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule I;

(2) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and

(3) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay, etc.**—The classification of the Service, the scales of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the Service either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.**— (1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be by the following methods, namely :—

(a) by direct recruitment by selection:

(b) by promotion of the members of the Madhya Pradesh Public Health Engineering (Gazetted) Service and Madhya Pradesh Public Health Engineering Subordinate Service;

(c) by transfer of persons who hold such posts and in such services as may be specified in this behalf, by the Government.

(2) (a) Recruitment to every class I post of the Service shall normally be by promotion and only when suitable candidate is not available the Government may fill that post by direct recruitment.

(b) The number of persons recruited to class II posts of the Service by promotion shall not at any time exceed 40 % of the class II duty posts (as specified in Schedule I and II) in the particular cadre, namely, civil and mechanical.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the Service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occassion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may, with the concurrence of general Administraion Department, adopt such methods of recruitment to the Service other than those specified in sub-rule (1), as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment to the Service.**—All ppointments to the Service after the commencement of these rules, shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility of direct recruits.**—(*a*) In order to be eligible for direct recruitment, a candidate must satisfy the following conditions, namely :—

(1) Age.—(*a*) He must have attained the age a indicated in column (3) of Schedule III, and not attained the age as indicated in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the selection.

(*b*) The age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

(*c*) A candidate holding a post on any establishment, including work charged establishment and contingency paid staff, in a permanent or temporary capacity should not be more than thirty eight years of age.

(*d*) A candidate who is a retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of seven years even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "Retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the regions for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(*e*) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term 'Ex-Serviceman' denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service, namely :—

(1) Ex-Serviceman released under mustering out concession.

(2) Ex-Serviceman enrolled for the second time and discharged on (*a*) completion of short term engagement; (*b*) fulfilment of the conditions of enrolment.

(3) Ex-Personnel of Madras Civil Unit.

(4) Officer (Military and Civil) discharged on completion of his contract (including short service Regular Commissioned Officers).

(5) Officer discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(6) Ex-Serviceman invalidated out of service.

(7) Ex-Serviceman discharged on the ground that he is unlikely to become efficient soldier.

(8) Ex-Serviceman who is medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

(9) Persons recruited from 1st January 1963 onwards as whole time Cadet Instructors in the National Cadet Corps and released from the National Cadet Corps on the expiry of their initial/extended tenure shall be allowed to deduct from their actual age the period of service rendered by them in the National Cadet Corps to the extent that the resultant age does not exceed the age limit prescribed in column (4) of Schedule III by more than three years subject to the condition.—

(*i*) that the incumbent produces a certificate to the effect that he has been released from the National Cadet Corps on the expiry of his initial/extended tenure; and

(*ii*) that the intervening period between the date of his release from the National Cadet Corps and the first day of January next following the date of commencement of the selection does not exceed three years.

Note.—Candidates who are selected under the age concessions prescribed in clauses (*c*) and (*d*) will not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case will these age limits be relaxed.

(2) **Educational Qualifications and Experience.**—He must possess the educational qualifications and experience as prescribed in column (5) of Schedule III provided that—

(*a*) in exceptional cases, the Commission may, on the recommendation of the Government, treat as qualified a candiate, who, though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause has passed examinations conducted by other institutions by a standard which, in the opinion of the Commission, justifies the consideration of the candidate for selection, and

(*b*) candidates who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign Universities, being universities not specifically recogniesed by the Government may also be considered for selection at the discretion of the Commission.

(3) **Fees:**—He must pay the fees prescribed by the Commission.

9. **Disqualifications.**—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his condidature by any means may be held by the Commission in disqualify him for selection.

10. **Commission's decision about the eligibility of Candidates Final.**—The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final.

11. **Direct recruitment by selection.**—(1) Selection for recruitment to the Service shall be held at such intervals, as the Government may in consultation with Commission, from time to time, detemine.

(2) The selection of candidates for the Service be made by the Commission after interviewing them.

(3) 15 per cent and 18 per cent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, resepectively.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates, who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, shall be considered for appoitment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes declared by the Commission to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes as the case may be under sub-rule (3).

(6) If all or any of the vacancies reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, could not be filled up for non-availability of such candidates, all or such numbers of them as could not be filled up shall be readvertised for being filled up exclusively by the candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and, in case, even after such readvertisement, all or any of them could not be filled up shall be filled up

by candidates other than the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes for the next selection:

Provided that total number of posts including the carry forward vacancies reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, shall at no time, exceed fortyfive percent. of the total number of posts advertised.

12. **List of Candidates recommended by the Commission.**—(1) The Commission shall forward to the appointing authority the names and other details of candidates whom the Commission considers most suitable, duly arranged in order of preference and of the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who though not qualified by that standard, are declared by the Commission to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency of administration.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of candidate's name in the list confers no rights to appointment unless the Government is satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) The Candidates appointed to the Service after the commencement of these rules shall be liable to serve the Armed Forces for a minimum period of four years including the period spent on training on the Defence Services or a Works relating to defence efforts anywhere in India or abroad if so required.

13. **Appointment by promotion.**—(1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in column (5) of Scheduled IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) 15 percent and 18 percent. of the available vacancies for promotion in those posts, in which the percentage of promotion is 331/3 or more, shall be reserved for such Government servants of Scheduled Castes and Scheduled Tribe as are eligible for promotion according to the provisions of rule 14.

14. **Conditions of eligibility for promotion.**—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of the year had completed the number of years of service (whether officiating or substantive) as is specified in column (3) of Schedule IV in the post/Service mentioned in column (2) of Schedule IV or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government and are within the zone of consideration, as per sub-rule (8).

(2) The field of selection shall ordinarily be limited to five times the number of officers to be included in the select list in the case of promotion to those posts in which promotion is to be made on the basis of seniority-*cum*-merit and seven times the number of officers to be included in the case of promotion to those posts, which are to be made on the basis of merit-*cum*-seniority provided that if the required number of suitable officers are not available in the field so determind the field may be enlarged to the extent considered necessary by the committee by mentioning the reason in writing.

15. **Conditions of eligibility for promotion.**—(1) The committee shall prepare a list of such persons a satisfy the conditions prescribed in rule 14 and are held by the committee to be suitable for promotion to the servicee The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of 25per cent of the number of persons included in the select list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occuring during the course of the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects, with due regard to seniority.

(3) The names of the officers included in the list shall be arranged in order of seniority in each grade [as in column (2) of Schedule IV] at the time of preparation of each select list.

Provided that any junior officer, who in the opinion of the committee, is of an exceptional merit and suitability, may be assigned in the list a higher place than that of officers senior to him.

Explanation.—A person, whose name is included in a select list but who is not promoted within a course of a year from the date of preparation of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review and revision, it is proposed to supersede any member of the cadre of Sub-Engineers, Head Draftsman or Dratsman or a member of the Madhya Pradesh Public Health Engineering (Gazetted) Service, the committee shall record its reasons for the proposed supersesion.

16. **Consultation with the Commission.**—The list prepared in accordance wtih rule 15 shall then be forwarded to the Commission by the Government, alongwith.—

(*i*) the records of all persons included in the list;

(*ii*) the records of all those who are proposed to be superseded on the recommendations of the committee;

(*iii*) the reasons as recorded by the committee for the proposed supersession of any member of the cadre ofSub-Engineer, Head Draftsman or Draftsman or a member of the Madhya Pradesh Public Health Engineering (Gazetted) Service; and

(*iv*) the observations of the Government on the recommendations of the committee.

17. **Select List.**—(1) The Commission shall consider the list prepared by the Committee alongwith the other documents received from the Government and unless it considers any change necessary, approve the list.

(2) If the Commission considers it necessary to make any changes in the list received from Government, the Commission shall inform the Government of changes proposed and, after taking into account the comments, if any, of the Government, may approve the list finally with such modifications, if any, as may in its opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the Commission shall from the select list for promotion of the members of cadre of Sub-Engineers, Head Draftsman and Draftsman and those of Madhya Pradesh Public Health Engineering (Gazetted) Service to the concerned posts in the Madhya Pradesh Public Health Engineering (Gazetted) Service cadres, as the case may be.

(4) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of the rule 15 but its validity shall not be extended beyond a total period of eighteen months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the commission may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

18. **Appointment to the Service from the select list.**—(1) Appointments of the officers included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such officers appear in the select list. Provided that, where administrative exigencies so require a person whose name is not included in the select list or who is not next in order in the select list, may be appoited to the service, if the Government is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commissionbefore appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Government, is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

19. **Probation.**—Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

21. **Relaxation.**—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him tosbe just and equitable, provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

22. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect rservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

23. **Repeal and Saving.**—All rules for instructions corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed :

Provided that anything done or any action taken under the rules or instructions so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
A. K. PANDYA, Secy.

SCHEDULE I

(*See* Rule 5)

Name of posts included in the service (1)	Total No. of duty posts (2)	Classification (3)	Scale of pay (4)
Madhya Pradesh Public Health Engineceing (Gazetted) Service.			
A. Duty Posts in Head Office.—			
Engineer-in-Chief	1	Class I	Rs. 1500—75—1800—150—2000 Plus special pay Rs. 250.
Chief Engineer	2	Class I	Rs. 1500—75—1800—100—2000.
Superintending Engineer (Civil)	3	Class I	Rs. 1100—50—1500.
Superintending Engineer (Mech.)	1	Class I	Rs. 1100—50—1500.
Drilling Expert	1	Class I	Rs. 1100—50—1500.
Executive Engineer (Civil)	6	Class I	Rs. 680—40—800—50—1000—EB—50—1150.
Hydrogeologist	1	Class I	Do.
Biologist	1	Class I	Do.
Assistant Engineer (Civil)	16	Class II	Rs. 425—25—500—30—680—EB—40—800—50—900.
Accounts Officer	3	Class II	Rs. 425—25—500—30—680—EB—40—800—50—1050.
B. Duty posts in field.—			
Superintending Engineer	10	Class I	Rs. 1100—50—1500.
Executive Engineer (Civil)	45	Class I	Rs. 680—40—800—50—1000—EB—50—1150.
Executive Engineer (Mech.)	10	Class I	Do.
Assistant Engineer (Civil)	286	Class II	Rs. 425—25—500—30—680—EB—40—800—50—900.
Assistant Engineer (Mech.)	61	Class II	Do.
Chief Chemist	1	Class II	Do.
C. Deputation posts	Nil.		
D. Leave Reserve	Nil.		

SCHEDULE II

(*See* Rule 6)

Name of the Department	Name of Service	Total No. of Duty posts	Percentage of the number of duty posts, to be filled in			Remarks
			By direct recruitment under rule 6 (1) (*a*)	By promotion under rule 6 (1) (*b*)	By transfer of persons from other services under rule 6 (1) (*c*)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Public Health Engineering Department.	Madhya Pradesh Public Health Engineering (Gazetted) service Class I					
	Engineer-in-Chief	1	..	100%	..	
	Chief Engineer ..	2	..	100%	..	
	Superintending Engineer (Civil)	13	..	100%	..	
	Supᵢ₀intending Engineer (Mechanical).	1	..	100%	..	
	Drilling Expert	1	..	100%	..	
	Executive Engineer (Civil)	51	..	100%	..	
	Executive Engineer (Mech.)	10	..	100%	..	
	Hydrogeologist	1	100%	..	..	Generally on deputation from Geological Survey of India or other department of the State Government In the alternative by direct recruitment.
	Biologist.—	1	100%	..	..	
Class II	Assistant Engineer (Civil) ..	302 }	60%	33% from the cadre of Sub-Engineers. 3% from cadre of Head Draftsman/Draftsman 4% from the cadre of graduate Sub-Engineers. Minimum service of 8 years on the post necessary for eligibility.		
	Assistant Engineer (Mech.) ..	61 }				
	Chief Chemist	1	100%	..	..	
	Accounts Officer	3	..	..	100%	On deputation from the Directorate of Treasuries or Office of The Accountant General, Madhya Pradesh.

SCHEDULE III

(*See* Rule 8)

Name of the Department (1)	Name of Service and posts (2)	Minimum age limit (3)	Upper age limit (4)	Educational qualification (5)	Remarks (6)
Public Health Engineering Department.	Madhya Pradesh Public Engg. (Gazetted) Service.				
	Class I				
	Hydrogeologist	21 years ..	33 Years ...	M.Sc. degree in Geology or applied Geology from recognised University or equivalent or diploma in applied Geology from the Indian School of Mines, Dhanbad with 3 years in geological mapping and Mineral prospecting out of which 2 years must have been spent in ground water prospecting survey of Ground water potential.	Persons will be generally taken on deputation from the Geological Survey of India or other departments of the State Govt. and for them there will be no age limit.
	Biologist	21 years ..	30 years ..	M.Sc. in Chemistry with Zology and Botany in B. Sc.	
	Madhya Pradesh Public Health Engineering (Gazetted) Service				
	Class II.				
	Assistant Engineer (Civil) ..	21 years ..	30 years ..	Degree in Civil Engineering from a recognised University or its equivalent.	
	Assistant Engineer (Mech.) ..	21 years ..	30 years ..	Degree in Mechanical Engineering from a recognised University or its equivalent.	
	Chief Chemist	21 years ..	30 years ..	M.Sc. degree in Chemistry from a recognised University.	
	Accounts Officer	..	..	..	To be taken on deputation from Directorate of Treasuries or office of Accountant General, Madhya Pradesh.

SCHEDULE IV

(*See* rule 13)

Name of the Department	Name of service or post from which promotion is to be made	Minimum period to qualify for promotion to the next higher post	Name of service or posts to which promotion is to be made	Name of member or the Departmental Promotion Committee vi de rule 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Public Health Engineering.	Madhya Pradesh Public Health Engineering Service.			
	Chief Engineer Class I ..	..	Engineer-in-Chief ..	1. Chief Secretary to Govt. of M. P.—Chairman. 2. Senior most Secretary to Govt.—Member.
	Superintending Engineer Class I.	5 years ..	Chief Engineer Class I	3. Secretary/Special Secretary, Public Health Engineering Department.—Member. 4. Deputy Secretary to Govt. of M. P., Public Health Engineering Department incharge of establishment—Member-Secretary.
	Executive Engineer (Civil) ..	5 years ..	Superintending Engineer Class I.	1. Chairman of the Public Service Commission or a member nominated by him—Chairman.
	Executive Engineer (Mechanical)	5 years ..	Superintending Engineer (Mech.) Drilling Expert.	2. Secretary/Special Secretary to Govt. of M. P. Public Health Engineering Department—Member. 3. Engineer-in-Chief—Member.
	Assistant Engineer (Civil) Class II.	6 years ..	Executive Engineer (Civil) Class I	4. Deputy Secretary (Establishment)—Member.
	Assistant Engineer (Mech.) Class II.	6 years ..	Executive Engineer (Mech.) Class I.	
	Sub-Engineer in Civil or Mechanical.	12 years for diploma-holders 8 years for those who are degree holders.	Assistant Engineer Class II	

Draftsman/Head Draftsman/ Draftsman in Civil or Mech. Engineering as the case may be.	12 years . . .	Assistant Engineer Class II

Note.—1. Only those Assistant Engineers will be eligible for promotion to the post of Executive Engineer (Civil) or (Mechanical) who have atleast a three years diploma in Civil/Mechanical/Electrical Engineering or a three years diploma in Draftsmanship from a Institute recognised by the State Government.

2. Only a degree holder in Civil/Electrical/Mechanical Engineering will be eligible for promotion to the post of Superintending Engineer and posts above this cadre. Exception will be only the post of Drilling Expert where an Executive Engineer (Mechanical) with three years diploma in Mechanical/Electrical Engineering from an Institute recognised by the State Government would be eligible for promotion. If an Executive Engineer with 3 years diploma is promoted to the post of Drilling Expert, he shall not be eligible for promotion to higher posts.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1981.